ग्राम - खेरिया मोदी
सर्वे क्र० 99/2 OSD/16/2011-12 (?)
99/3

XX (a)-A-145
Rev.-- Hindi

आदेश दि० 9-12-2011
रकबा 11.2696 0 ह० कुल

पुस्तक क्र. **फार्म--तीन** रसीद क्र.

[परिपत्र दो-४ की कंडिका ३ देखिये]

रसीद का फॉर्म (दो प्रतियों में)

7488 ______________ 106

राजस्व मामला या अन्य कार्यवाही क्रमांक स्व. धर्मी शिक्षा एवं

श्री ~~कल्याण~~ समाज कल्याण अनुसंधान समिति
सचिव डॉ. अजय प्रताप सिंह चौहान पुत्र स्व.

श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान नि० राम बैन नगर ग्वालियर द्वारा

रुपये पुनः निर्धारित भू-भाटक रु० 728 = 00 (अंकों और वर्ष 2011-12

शब्दों में) प्राप्त हुए. पंचायत कर रु० 364 = 00

अन्य विवरण ... प्रीमियम रु० 25343 = 00 ....

योग = 26435 = 00

रु० छब्बीस हजार चार सौ ...

भुगतान करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर — पंतालिस मात्र / रकम प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

या अंगूठे का निशान.

Officer on Special Duty
(Diverted Lands)
Gwalior (M.P.)

तारीख .. 19/12/2011 ....

प्रतिलिपि आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर उपखण्ड शहर

एस.डी.ओ. प्र.क 29 / 2011-12 / 172 (1)
ओ.एस.डी. प्र.क. 16 / 2011-12 / 172 (1)

स्व. धर्मा शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति
सचिव डॉ. अजयप्रतापसिंह चौहान पुत्र स्व.श्री वीरेंद्रसिंह चौहान
निवासी–320 तानसेन नगर, ग्वालियर।

प्रधान प्रतिलिपिकार कार्यालय कलेक्टर जिला ग्वालियर (म. प्र.)

.... प्रार्थी

विरूद्ध

म.प्र.शासन ....प्रतिप्रार्थी

आदेश पारित दिनांक 09/12/11

आवेदक स्व. धर्मा शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति सचिव डॉ. अजयप्रतापसिंह चौहान पुत्र स्व.श्री वीरेंद्रसिंह चौहान निवासी–320 तानसेन नगर, ग्वालियर द्वारा ग्राम खेड़ियामोदी प. ह. नं. 95, तहसील व जिला ग्वालियर के सर्वे क्रमांक 99/2, 99/3 के रकबा 26960 वर्गफुट भूमि पर व्यावसायिक (शैक्षणिक उपयोग) उपयोग किये जाने के डायवर्सन की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जो म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1) के तहत पंजीबद्ध किया गया।

राजस्व अभिलेख में प्रश्नाधीन भूमि भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है। प्रकरण में मूल खसरा वर्ष 2010–11 की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में संलग्न कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण निवेश ग्वालियर के प्रकरण कमांक 577/UO 17329/न.ग्रा.नि./2009, ग्वालियर दिनांक 8-4-2009 द्वारा बताया गया कि प्रश्नाधीन भूमि निवेश क्षेत्र के बाहर स्थित है, तथा भूमि उपयोग व्यापक रूप से कृषि है।

एस. एल. आर. डायवर्सन से प्रतिवेदन लिया गया, जिसमें डायवर्सन किये जाने की अनुशंसा की गई है। इनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि व्यावसायिक (शैक्षणिक उपयोग) प्रयोजन हेतु डायवर्सन की अनुज्ञा देने पर रकवा 26960 वर्गफुट भूमि पर व्यावसायिक दर से वार्षिक परिवर्तित भू–राजस्व रूपये 728=00 पंचायत उपकर 364=00 एवं प्रीमियम रूपये 25343=00 कुल रूपये 26435=00 वर्ष 2011–12 से आवेदक पर देय होगा।

प्रकरण में संलग्न समस्त अभिलेखो का परीक्षण किया गया तथा यह माना गया कि आरोपित शर्तो के साथ प्रश्नाधीन भूमि पर व्यावसायिक (शैक्षणिक उपयोग) कार्य हेतु डायवर्सन की अनुमति प्रदान की जा सकती है। अतः म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए प्रश्नाधीन भूमि पर निम्न शर्ते आरोपित करते हुए व्यावसायिक (शैक्षणिक उपयोग) डायवर्सन की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

निरन्तर.....

.2/–

सत्य प्रतिलिपि

Re.1
INDIA
भारत
1रु.
एक रुपया ONE RUPEE
FOR COPYING FEES ONLY

स्व. धर्मा शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति
सचिव डॉ. अजयप्रतापसिंह चौहान पुत्र स्व.श्री वीरेंद्रसिंह चौहान
निवासी–320 तानसेन नगर, ग्वालियर।

1– आवेदक अधीक्षक डायवर्सन की गणना अनुसार ग्राम खेरियामोदी के भूमि सर्वे क्रमांक 99/2, 99/3 कुल रकवा 26960 वर्गफुट भूमि के व्यावसायिक (शैक्षणिक उपयोग) व्यपवर्तन की परिवर्तित भू–राजस्व रूपये 728/– पंचायत उपकर 364/– प्रीमियम 25343/– राशि राजकीय कोष में जमा करें तथा आगामी वर्ष से राजकीय कोष मे परिवर्तित भू–राजस्व 728 एवं पंचायत उपकर 364/– रूपये जमा करना सुनिश्चित करें।

2– आवेदक कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश ग्वालियर / स्थानीय निकाय से प्रश्नाधीन भूमि पर निर्माण के लिए स्वीकृत मानचित्र अनुसार ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

3– स्थल पर लोक न्यूसेंस की गतिविधि वर्जित है तथा सामाजिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

4– स्थानीय निकाय के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना होगा।

5– पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत निर्मित समस्त नियमों का पालन क़रना अनिवार्य होगा ताकि किसी भी प्रकार का प्रदूषण न होने पाए।

6– आवेदक म.प्र.विर्निदिष्ट सिविल आचरण अधिनियम में वर्णित नियमों का पूर्ण पालन करेगें।

7– निर्माण के दौरान शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो।

8– निर्माण के पूर्व भवन की ऊंचाई, छज्जों आदि का निर्माण तथा विन्यास मुताबिक खाली स्थान छोड़ा जाना तथा निर्धारित " फ्लोर एरिया" अनुपात का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

9– यदि व्यपवर्तन अनुज्ञा आदेश पारित करने के उपरान्त प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व संबंधी कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

10– आवेदक को म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा म.प्र. भू–विकास नियम 1984 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा बताये गए भू उपयोग अनुसार ही निर्माण करना होगा। यदि मास्टर प्लान के अनुरूप निर्माण नही होता है तो यह व्यपवर्तन आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा जमा की गई अधिरोपित राशि (परिवर्तित भू राजस्व, प्रीमियम, आदि) वापसी योग्य नही होगी।

11– आवेदक अन्य संबंधित विभाग से भी निर्माण पूर्व आवश्यक अनुमति प्राप्त करें।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर दी गयी डायवर्सन की अनुमति निरस्त की जाएगी। "बी" नोटिस जारी हो। " बी–1" में अमल हो। प्रकरण दायरा से कम हो तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु एस.एल.आर. डायवर्सन को वापस किया जाए।

अनुविभागीय अधिकारी
(डायवर्सन) ग्वालियर

आवेदन पत्र प्राप्ति का दिनांक 26/12/2011

क्रमांक 3625

दिनांक जिस पर आवेदन कर्ता से उपस्थित होने [illegible]

[illegible] 24/12/2011

[illegible]

23/2/2012

[illegible]

23/2/2012

[illegible]

का पालन हुआ..........

9 दिनांक जिस [illegible]

10 [illegible] 26/12/2012

को..........

11 वसूल किया न्यायालय शुल्क...40

23/2/12

ग्राम - खेरिया मोदी
सर्वे क्र० 99/2050/16/2011-12 (?)
99/3

XX (a)-A-145

Rev.-- Hindi

आदेश दि० 9-12-2011
1269 60 व० मु०

पुस्तक क्र. **फार्म--तीन** रसीद क्र.

[परिपत्र दो-४ की कंडिका ३ देखिये]

रसीद का फॉर्म (दो प्रतियों में)

7488 ______________ 106

राजस्व मामला या अन्य कार्यवाही क्रमांक ....

श्री .... समाज कल्याण संस्थान समिति
सचिव डॉ. .... सिंह चौहान ....
श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान नि० .... द्वारा
रुपये .... रू० 728=00 (अंकों और वर्ष 2011-12
शब्दों में) प्राप्त हुए .... रू० 364=00
अन्य विवरण .... रू० 25343=00
योग = 26435=00
रू० छब्बीस हजार ....

भुगतान करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान.

रकम प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर.

Officer on Special Duty
(Diverted Lands)
Gwalior (M.P.)

तारीख 19/12/2011 ....

LAND OF BUILDING

रसीद दस्तावेज वगैरह 2582

नम्बर .... मुकाम .... 50 ....

रसीद किस को दी गई	दस्तावेज की तफसील तारीख व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो सरबन्द लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
1	2	3	4
	रामगोपाल बिक्री - 198004	1759/-	

तारीख ... JAN 2004

उप-पंजीयक

2542

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000 दस हजार रुपये

10000 रु. Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

10000 रु. Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 042262

।। श्री ।।

लिखतम विक्रय पत्र मूल्य 1,98,000/- रूपये
अंकन एक लाख अन्ठानवें हजार रूपये

भारतीय मुद्रांक विधान के अधीन मुद्रांक शुल्क	15,840/-रूपये
मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत के अधीन मुद्रांक शुल्क	1,980/-रूपये
उपकर शुल्क	792/-रूपये
अतिरिक्त शुल्क	38/-रूपये
योग-	18,650/- रूपये

यहकि, विक्रीत सम्पत्ति कृषि भूमि का बाजारू मूल्य 1,98,000/- रूपये अंकन एक लाख अन्ठानवें हजार रूपये है। कृषि भूमि स्थित ग्राम खेरिया मोदी, तहसील व जिला ग्वालियर जिसका पटवारी हल्का नं.- 49/95, राजस्व निरीक्षक मण्डल 5 मुरार, विकास खण्ड मुरार परगना व जिला ग्वालियर है। विक्रीत कृषि भूमि जो असिंचित है। जिसका भू-ऋण पुस्तिका क्रमांक एम/102041 है। विक्रीत सम्पत्ति के बावत् न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है।

क्रमश.....2

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. सत्यमेव जयते भारत Rs 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

029469

विक्रेताः रामगोपाल पुत्र श्री मवासीलाल आयु 62 वर्ष, जाति खटीक निवासी– कृष्णपुरी, मुरार, कृषक ग्राम खेरियामोदी, परगना व जिला ग्वालियर म0प्र0।

क्रेता : स्व0 धर्मा शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति, ग्वालियर द्वारा सचिव डॉ0 अजय प्रताप सिंह चौहान पुत्र स्व. श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान आयु 48 वर्ष, निवासी– 320 तानसेन, नगर, ग्वालियर म0प्र0।

यहकि, मुझ विक्रेता के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की अचल सम्पत्ति की कृषि भूमि स्थित ग्राम खेरिया मोदी, तहसील व जिला ग्वालियर जिसका पटवारी हल्का नं. – 49 / 95, राजस्व निरीक्षक मण्डल 5 मुरार, विकास खण्ड मुरार परगना व जिला ग्वालियर है। उक्त सम्पत्ति भूमि जो कागजात सरकारी में मुझ विक्रेता के नाम से वहैसियत स्वामी दर्ज है। जिसमें विक्रेता के अलावा अन्य कोई हिस्से दार भागीदार आदि नहीं है। जो आज दिनांक तक कहीं भी रहन, वय, दान हिवा आदि न होकर हर प्रकार के रट्टे झगड़ो से पाक व साफ है। जिस पर किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण स्टे आदि लम्बित नहीं है। उक्त सम्पत्ति पर विक्रेता द्वारा किसी भी बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति से कर्ज आदि नहीं लिया गया है। उक्त आराजी बावत् विक्रेता ने किसी भी विभाग से किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा बगैरा प्राप्त नहीं किया है। यानी कि विक्रीत सम्पत्ति का टायटिल पाक व साफ है कारण कि मुझ विक्रेता को आवश्यकताओं का पूर्ति करने के लिये धन की आवश्यकता है इस कारण विक्रीत कृषि भूमि ग्राम खेरियामोदी, पटवारी हल्का नं. 49 / 95 का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

क्रमश............3

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते
भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

429223

सर्वे क्रमांक	रकवा	लगान
99/2 99/3	0.564 है0	4.88 पैसे

यहकि, उपरोक्त खेत किता 2 जुल्मा रकवा 0.564 हैक्टर विक्रय की जा रही है। जिसको मय कुल स्वतवो के प्रतिफल रूपये 1,98,000/— अंकन एक लाख अन्ठानवें हजार रूपये में बहक्क क्रेता **स्व0 धर्मा शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति, ग्वालियर द्वारा सचिव डॉ0 अजय प्रताप सिंह चौहान पुत्र स्व. श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान** को कतई विक्री कर दिया है। तथा सम्पूर्ण विक्री धनराशि पूर्व में नगद घर पर ही प्राप्त कर ली है। अब विक्री धनराशि में से कुछ भी लेना या देना शेष नहीं रहा है। यदि मुझ विक्रेता या मेरे वारिसान या वैधानिक प्रतिनिधियों के द्वारा भविष्य में कम विक्री धन पाने या बिल्कुल विक्री धन ना पाने की आपत्ति करते हैं तो इस लिखतम विक्री पत्र के समक्ष मिथ्या एवं अमान्य मानी जावेगी।

क्रमश.........4

1000Rs.

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 429..24

यहकि, मुझ विक्रेता ने क्रेता को विक्रय की गई कृषि भूमि पर मौके पर वास्तविक आधिपत्य (कब्जा) सौंप दिया है। अब क्रेता अपने क्रय शुदा कृषि भूमि को राजस्व कागजात सरकारी में या अन्य शासकीय व अर्द्धशासकीय विभागों में जहाँ जहाँ भी आवश्यकता हो अपने नाम बहैसियत स्वामी दर्ज करावें भविष्य का लगान वगैरा अपने नाम से अदा करें एवं अपनी सुविधानुसार एवं इच्छानुसार उक्त सम्पत्ति का उपयोग व उपभोग करने के लिये पूर्णतः स्वतंत्र है तथा उक्त सम्पत्ति कहीं भी रहन, बय, दान आदि करें या अन्य किसी भी प्रकार से हस्तांतरित करें, या हर प्रकार से अपने उपयोग व उपभोग में लावें। तात्पर्य यह है कि जो स्वत्वाधिकारी एवं सुखाधिकार विक्रीत सम्पत्ति पर मुझ विक्रेता को प्राप्त थें, वे समस्त अधिकार क्रेता को प्राप्त हो गये व भविष्य में भी होंगे। अब विक्रीत सम्पत्ति कृषि भूमि से मुझ विक्रेता का किसी प्रकार का कोई वास्ता एवं सरोकार नहीं रहा है और ना ही भविष्य में होगा।

यहकि, विक्रीत भूमि हर प्रकार के रट्टे झगड़ो से पाक व साफ है। यदि किसी स्वत्व की कमी के कारण विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग क्रेता के कब्जे से निकल जावें या आज विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक के पूर्व का राजस्व अभिलेख में किसी भी प्रकार का या अन्य किसी भी विभाग का कोई टैक्स या अन्य कोई दायित्व शेष निकलता है तब उसे अदा करने की जिम्मेदारी मुझ विक्रेता की रहेगी। यदि मुझ विक्रेता की ओर से क्रेता को किसी टैक्स व दायित्व की पूर्ति करना पड़े तब समस्त धनराशि क्रेता मुझ विक्रेता की होगी।

क्रमशः.....5

1000Rs.

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH //5// 429225

अतएव यह लिखतम बिक्री पत्र मुझ विक्रेता ने पूर्ण सद्भावना पूर्वक सचेतावस्था में पढ़कर सुनकर व समझकर बिना किसी धौंस दबाव के बिना किसी नशे पत्ते के स्वस्थ चित्त अवस्था में सम्पूर्ण विक्रीत धनराशि प्राप्त कर समक्ष गवाहाना लेखबद्ध कर हस्ताक्षरित कर दिया है जो प्रमाण रहे व वक्त जरूरत पर आम आवें।

इति दिनांक : 30.12.2005

लिखतम का प्रारूप राजेश शर्मा अभिभाषक द्वारा तैयार किया गया।

हस्ताक्षर क्रेता

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर साक्षीगण :

1. नाम आशीष मुरेरिया पिता श्री एस.के. मुरेरिया
निवासी चेतकपुरी लश्कर ग्वालियर

2. दलीराम नरवरिया पुत्र श्री भगवान दास
निवासी रेली फाटक रमटापुरा ग्वालियर.

1-भू-

भूमिस्वामी का नाम: स्व. धर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति ग्वालियर द्वारा सचि.

अभिलेख
1 डॉ अजयप्रतापसिंह चौहान पुत्र स्व. वीरेन्द्रसिंह नि. 320 तानसेन नगर ग्वालियर

खाता क्रमांक ४/२००५-०६

क्रमांक	खसरा क्रमांक	रकबा	लगान	आवपाशी	रकबा कब्जा में	बकुल	सिंचित रकबा	सिंचाई का साधन (कुआँ, नहर, तालाब, नदी)	यदि रकबा ... पर है, तो शिकमी ... का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	९९/२ ९९/३	0.४६४	४.२२	—	0.४२२	0.042	—	—	—	—
									पंजी क्र. 05 आदेश दि. 10.2.06 से बनी [signature]	

किसान ... तहसीलदार ... तहसील ...

एस. एन. सिंह कुशवाह
राजस्व निरीक्षक
वृत्त क्र. 5 मुरार, तह. ग्वा.

नया बीस सूत्रीय कार्यक्रम

पुस्तिका क्रमांक ....

102042

कृषक का नाम: स्व. धर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति ग्वा. द्वारा सचिव डॉ अजयप्रताप सिंह पुत्र स्व. वीरेन्द्रसिंह चौहान नि. 320 तानसेन नगर ग्वालियर

ग्राम: रविशिया मोदी पटवारी हल्का: ४९/९५

राजस्व निरीक्षक मण्डल: 05 विकास खण्ड: मुरार

तहसील: ग्वालियर जिला: ग्वालियर

कृषक के हस्ताक्षर या अंगूठे की निशानी का नमूना

XXIII-D-3
Settlt.

अदालत श्री अनिल वनवारिया विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)

(परिवर्तित भूमि पर पुननिर्धारण, प्रब्याजि तथा जुर्माना का सूचना-पत्र)

नोटिस प्रपत्र ''बी''

ओ. एस. डी. नं 156/59 2005-06

बनाम

श्री स्व० धर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति ग्वालियर द्वारा सचिव [illegible] सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह चौहान नि० 320 [illegible] नगर म० निवासी / ग्राम खेरियामोदी
पट. ह. नं. 49/95 तहसील ग्वालियर जिला ग्वालियर

(1) आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर गैर–काश्तकारी उपयोग में [illegible] मामला एस डी ओ क्रमांक 415/05-06/A2 के अंतर्गत कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर के आदेश दिनांक 5-3-06 के अनुसार निम्नलिखित पुनर्निर्धारण (जमा) निर्धारण किया गया है :–

नाम ग्राम मय बन्दोबस्त नंबर प.ह.नं.	खसरा नम्बर सर्वे नम्बर प्लॉट नम्बर	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल	अंतिम रूप से निर्धारित किया गया संशोधित पुनर्निर्धारण (जमा)
ग्राम खेरियामोदी प०ह०न० 49/95	99/2 99/3	33750 व०फु० व्यवसायिक 1. पुन: निर्धारण रूपये वर्ष 05-06 का - 5434=00 ii. पंचा० उपकर 05-06 का - = 2717=00 (iii) प्रीमियम —— : 31725=00 (iv) अर्थदंड —— : 500=00 योग = 40376=00	पुन: निर्धारण रूपये 5434=00 वार्षिक व पंचायत उपकर 2717=00 वार्षिक। वर्ष 2005-06 से कायम किया गया। कृषि लगान कम होगा।

कार्यालय ग्राम पंचायत गणेशपुरा मुरार ग्वा०

प्रस्ताव क्र. 04 दि. 22-3-06

ग्राम - [illegible] के सर्वे क्र. 99/2, 99/3 रकबा 0.564 हे. यानी 2 बीघा 14 बिस्वा पर एक धर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण सेवा समिति ग्वा. को 1129.49 वर्गमीटर भूमि में भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति।

आज दिनांक 22-3-2006 को ग्राम पंचायत गणेशपुरा की बैठक में एक धर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति द्वारा दिया गया आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा समस्त उपस्थित सदस्यों को बतलाया गया कि समिति द्वारा भूमि रजिस्ट्री द्वारा क्रय की है, नामांतरण कराया गया है। जिसकी प्रति संलग्न की है भूमि समिति के स्वामित्व की है एवं भवन अनुज्ञा की रसीद क्र.-79 द्वारा शुल्क जमा कराया है। भवन निर्माण नक्शा प्रतिलिपि [illegible] प्रस्तुत की है। सदस्यों द्वारा [illegible] मौके, कागजात सही पाये गये। एवं निर्माण समिति (महिला) पंचायत की अनुशंसा के आधार पर सर्वसम्मति से संकल्प पारित करती है कि एक धर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण सेवा समिति ग्वा. को 1129.49 वर्गमीटर [illegible] में भवन निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया।

आत्म प्रतिलिपि [illegible]
[signature]
सचिव
ग्रा.पं. गणेशपुरा

शान्ति देवी
सरपंच
ग्राम पंचायत गणेशपुरा
जनपद पंचायत मुरार, ग्वा०

रसीद

क्रमांक 20

दिनांक 14/3/06

ग्राम पंचायत गणेशपुरा जनपद पंचायत मुरार

श्री/श्रीमती/कु. एक धर्म शिक्षा एवं पिता/पति समाज कल्याण सेवा संस्थान

निवासी ग्वालियर से रुपये 200/-

शब्दों में रुपये दो सौ रुपये मात्र

माध्यम नगद/चैक/मा.ड्रा. क्रमांक ____ तारीख ____

अदाकर्ता ____ बैंक ____

के माध्यम से प्राप्त किए। भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क

[signature]
सचिव/लेखापाल

शान्ति देवी

M.P. STATE ELECTRICITY BOARD — मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल — R-41

Book बुक MMN° 33705- Receipt Serial रसीद अनुक्रमांक 13

Name (नाम) सचिव एव. धर्म शिक्षा एवं

Service No. (सर्विस नं.) ग्रामीण कल्याण संस्थान समिति

	Rs. रु.	P. पै.
1. Energy bill charges (बिजली के बिल की रकम) Bill No. (बिल नं.) .... Month (माह)		
2. Surcharge (अधिभार)		
3. VC-8	10000	00
4.		
Total मीजान	10000	00

Rupees (रुपये) Ten thousand only

Station (स्थान) Morena

Date (तारीख) 27-3

E.&O.E. भूल चूक लेनी देनी

Officer-in-charge प्रभारी अधिकारी

Collection Agent संग्रह कर्ता

M.P. STATE ELECTRICITY BOARD — मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल — R-41

Book बुक MMN° 33705- Receipt Serial रसीद अनुक्रमांक 13

Name (नाम) सचिव एव. धर्म शिक्षा एवं

Service No. (सर्विस नं.) ग्रामीण कल्याण संस्थान समिति

	Rs. रु.	P. पै.
1. Energy bill charges (बिजली के बिल की रकम) Bill No. (बिल नं.) .... Month (माह)		
2. Surcharge (अधिभार)		
3. VC-8	10000	00
4.		
Total मीजान	10000	00

Rupees (रुपये) Ten thousand only

Station (स्थान) Morena

Date (तारीख) 27-3

E.&O.E. भूल चूक लेनी देनी

Officer-in-charge प्रभारी अधिकारी

Collection Agent संग्रह कर्ता

XX (a)-A-145
Rev.-- Hindi

टेकिया मोदी आपवादिन

पुस्तक क्र. **फॉर्म--तीन** रसीद क्र.

[परिपत्र दो-४ की कंडिका ३ देखिये]

123

रसीद का फॉर्म (दो प्रतियों में)

2734 सर्वे न. 99/3, 99/2

राजस्व मामला या अन्य कार्यवाही क्रमांक .... में

श्री स्व. धर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण

श्री सत्संग समिति [illegible] द्वारा

रुपये 8151=00 आठ हजार एक सौ इक्यावन (अंकों और शब्दों में) प्राप्त हुए

अन्य विवरण पुन. निर्धा. =5434=00 [illegible]

उपकर 2717=00

8151=00

भुगतान करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान.

रकम प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर.

अपर तहसीलदार एवं कार्य पालक मजिस्ट्रेट ग्वालियर

तारीख 29/12/06

शाक्षेमुग्वा-148-फार्म्स-25-11-97-29,800 बुक.

टेकिया मोदी आपवादिन

XX (a)-A-145
Rev.-- Hindi

पुस्तक क्र. **फॉर्म--तीन** रसीद क्र.

[परिपत्र दो-४ की कंडिका ३ देखिये]

2734 रसीद का फॉर्म (दो प्रतियों में) 7C

सर्वे न. 99/2, 99/3

राजस्व मामला या अन्य कार्यवाही क्रमांक .... में

श्री स्व. धर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण

श्री [illegible] द्वारा

रुपये 40376=00 चालीस हजार तीन सौ छिहत्तर (अंकों और शब्दों में) प्राप्त हुए

अन्य विवरण पु. निर्धा. 5434=00

प. उप. 05-06 2717=00

[illegible] 31725=00

500=00

40,376=00

भुगतान करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान.

रकम प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर.

अपर तहसीलदार एवं कार्य पालिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर

तारीख 10/3/06

अक्स नक्शा किश्तवार
ग्राम खेरिया मोदी
प. ह. नं. ४२/२४
रा. नि. वृत्त [illegible]
तहसील व जिला ग्वालियर
स्केल १" = 300 फीट

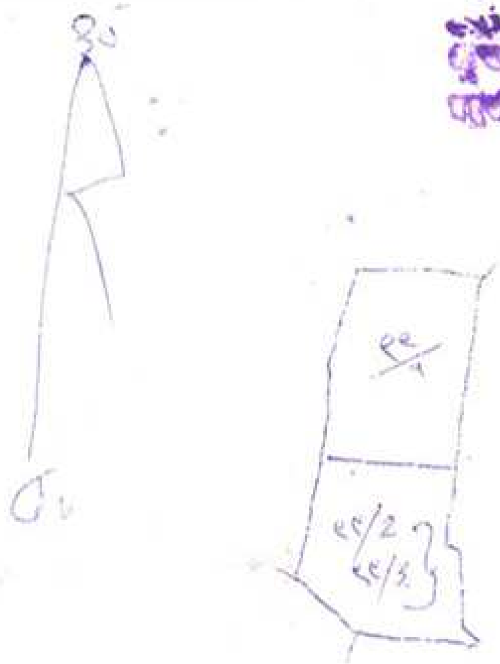

नोट: [illegible]

प्रस्तावना

इस पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य किसानों के खातों, हकों, लगान, तकावी आदि का पूरा-पूरा हिसाब रखना है. इसमें किसानों को सहकारी और व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिये गये कर्ज और उनकी वसूली का भी पूरा-पूरा लेखा-जोखा रखा जाता है. मतलब यह है कि किसानों के हिसाब-किताब पूरे रहें और उन्हें सरकार या बैंकों से कर्ज लेने में कोई दिक्कत न हो.

अत: यह जरूरी है कि इस पुस्तिका के लेख नवीनतम रहें. किसानों को भी चाहिए कि वे हमेशा इस पुस्तिका में नवीनतम अभिलेख कराते रहें. इसे सम्भाल कर रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके खो जाने पर फिर से तमाम दफ्तरों और बैंकों से रिकार्ड पूरा करवाने में बड़ी कठिनाई होगी.

किसानों के साथ-साथ बैंकों, दफ्तरों, सहकारी संस्थाओं का भी यह फर्ज है कि वे इस किताब के रिकार्ड को पूरा करने में जरा भी देरी न करें और सारी प्रविष्टियां तुरन्त की जावें. इस संबंध में अगर कोई भी दिक्कत हो, तो काश्तकारों को चाहिये कि वे तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी और जरूरत पड़ने पर कलेक्टर से शिकायत करें. इन किताबों के रिकार्डों को पूरा करने में जो भी कर्मचारी सुस्ती, लापरवाही या बदनियती बरतेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी.

राजस्व मंत्री

पुस्तिका क्रमांक 102042

कृषक का नाम: धर्मार्थ शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति ग्वा. द्वारा सचिव डॉ अजयप्रतापसिंह पुत्र स्व. वीरेन्द्रसिंह चौहान

ग्राम: खेरियामोदी — पटवारी हल्का नं. ४९/९५

राजस्व निरीक्षक मण्डल: ०५ — विकास खण्ड: मुरार

तहसील: ग्वालियर — जिला: ग्वालियर

कृषक के हस्ताक्षर या अंगूठे की निशानी या मुद्रा

....

---

17. उचित दर की दुकानों की संख्या बढ़ाकर और दूर-दराज के इलाकों में चलती-फिरती दुकानों की व्यवस्था करके औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दुकानें खोलकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बढ़ोत्तरी की जाये. पाठ्य पुस्तकों और अभ्यास पुस्तिकाओं की आवश्यकता को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाये. उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिये जोरदार कदम उठाये जायें.
18. पूंजी निवेश की प्रक्रियाओं को उदार बनाया जाये और औद्योगिक नीति को सरल बनाया जाये ताकि हम योजनाओं को समय से पूरा कर सकें तथा दस्तकारी, हथकरघा एवं दूसरे ग्रामीण उद्योग धंधों को हर प्रकार की सुविधायें दी जायें, जिससे वे प्रगति करें और अपनी तकनीक को आधुनिक बना सकें.
19. तस्करों, जमाखोरों और कर की चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाये ताकि काला धन रुके.
20. सार्वजनिक उद्यमों की कार्य कुशलता, अपनी क्षमता के उपयोग और आंतरिक साधनों के उत्पादन को शक्ति को बढ़ा कर उनकी कार्यप्रणाली में सुधार लाया जावे.

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित.

M क्रमांक 102042

मध्यप्रदेश शासन

भू-अधिकार

एवं

ऋण पुस्तिका

भाग-2

नाम काश्तकार: स्व. धर्मा शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति ग्वा. द्वारा सचिव डॉ अजयप्रताप सिंह पुत्र स्व. वीरेन्द्रसिंह चौहान नि. 320 ....

ग्राम: नगर ग्वालियर

प. ह. नं.: खेरियामोदी प.ह.नं. ४९/९५

मूल्य रुपये 10.00 प्रति सेट

102042

1-भू-

कृषक एवं शामिल शरीक खातेदारों के नाम 1. धर्म शिक्षा एवं समाज 2. कल्याण संस्थान समिति 3. ग्वालियर द्वारा स[illegible]

क्रमांक	खसरा नम्बर	रकबा	लगान	अबवाब	रकबा काश्त में	रकबा पड़त
1	2	3	4	5	6	7
१	९९/२, ९९/३	०.५६४	४-२२	—	०.४९२	०.०७२

एस. एन. सिंह कुशवाह
राजस्व निरीक्षक
वृत्त क्र. 5 मुरार, तह. ग्वा.

[illegible] विक्रेता
[illegible] तहसील, ग्वालियर

अभिलेख

4. डॉ. अजयप्रतापसिंह खाता नम्बर ४/२००५-०६ २०६२

5. चौहान पुत्र स्व. भूमि पर हक का प्रकार (भू-स्वामी ~~मौरूसी/शासकीय पट्टेदार~~)
गेंदसिंह नि. ३२८
तानसेन नगर ग्वालियर

सिंचित रकबा	सिंचाई का स्रोत (कुआं, नहर, तालाब, नदी)	यदि खसरा नं. पट्टे पर है, तो मौरूसी/पट्टेदार का नाम	अन्य विवरण
8	9	10	11
—	—	—	—

पंजी क्र. ०५ आदेश दि. १०.२.०६
सेवनी [illegible]

कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐ मध्यप्रदेश
विध्याचल भवन भोपाल

क्रमांक 45/5639/07 भोपाल दिनाक 21 नबम्बर 2007

प्रति,

अध्यक्ष सचिव
स्व धर्मा शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति,
427 तानसेन नगर ग्वालियर
ग्वालियर

विषयः— भूमि क्रय की अनुमति बाबत
संदर्भः— आपका पत्र क्र 28 दिनांक 27.6.2007

—0—

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र का अवलोकन करे जो कि असि रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं ग्वालियर के पत्र दिनांक 13.9.2007 के साथ प्राप्त । प्रकरण के संबंध में निम्नानुसार शीध्र जानकारी उपलब्ध करावे :—

1— भूमि क्रय का अनुबंध 600000/— में किया गया है तदनुसार शुल्क 2 प्रतिशत जमा करे ।
2— अनुबंध दिनांक 25.6.2007 किस दिनांक तक वैध रहेगा का उल्लेख नहीं है ।
3— बैठक कार्यवाही विवरण में भूमि क्रय मूल्य का उल्लेख नही किया गया है ।
4— अनुबंध पत्र की फोटो प्रति पदाधिकारी से प्रमाणित नहीं है ।
क्रय की जा रहीं भूमि के मूल्य के संबंध में जारी गाइड लाइन की फोटो प्रति पदाधिकारी से प्रमाणित नहीं है ।

(रजिस्ट्रार व्दारा अनुमोदित)

वास्ते रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐ
मध्यप्रदेश

Specimen 'Q'

[vide paragraph 40(ii)(g)]

No.........

Dated : 12/9/06

Shri / Sarvashri / M/s ....

...Smt. Raj Chauhan w/o...

...Dr. A.P.S. Chauhan...

320 Tandan Nagar Gwalior

Dear Sir,

Loan account(s) in the name of Sea Dharm Siksha Ashram Samaj Kalyan Sansthan Samiti .... mortgage by deposit of title deeds in favour of the Bank created by you on 14.8.06

We confirm that on 14.8.06... (date) the title deed and other documents more particularly described in your letter dated 8.5.06 were delivered and deposited with us with intent to create mortgage to secure the payment of the debit balances at any time in... TERM Loan M/c... (nature of account) account in the name of Sea Dharma Siksha Ashram Samaj Kalyan Sansthan Samiti at Bank's .... HAZIRA branch to the extent of Rs. 40,00,000/-...(Rupees forty lac.......) and also for interest costs, charges, expenses in connection herewith and any other debt or liabilities now payable or which may hereafter become payable at.................. to the bank at any time, at any branch or branch(es) of the Bank.

Yours faithfully,

Branch Manager

• • •

स्व. धर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति
427, [illegible] ग्वालियर (म.प्र.) फोन : 0751-242[illegible], [illegible]
मोबाइल : 98262-66426, 98270-66426, E-mail : sarwadharma_1@redi[illegible]com.

क्रमांक [illegible]   दिनांक [illegible]

प्रति,
श्रीमान् तहसीलदार महोदय,
मुरार, जिला ग्वालियर
मध्यप्रदेश

विषय: सीमांकन हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि, स्व. धर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति ग्वालियर की [illegible] भूमि ग्राम [illegible] पटवारी हलका नं. 49 [illegible] मुरार [illegible] जिला ग्वालियर [illegible] 99/2 एवं 99/3 है।

भूमि [illegible] एवं चालान रु. 100/- प्रस्तुत [illegible] भूमि का सीमांकन कराने का कष्ट करें।

धन्यवाद!

सचिव
स्व. धर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण
संस्थान समिति ग्वालियर (म.प्र.)

फार्म नं.

FORM M. P. T. C. 7 (See Subsidiary Rule 59)

खजाना/उप खजाना/स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में पैसे जमा करने का चालान

State Bank of India Gwalior

यह जमा करने वाले को लिखना चाहिये — विभागीय या खजाना आपको लिखना चाहिये

कोड संख्या	जिसका नाम या कोड्या और पता जिसकी ओर से पैसा जमा किया जा रहा है	किस्म का पैसा जमा किया जा रहा उसका पूरा विवरण	रकम		लेखा शीर्ष	लेखा अधिकारी जिसने समायोजन किया	बैंक को आदेश
1	2	3	4		5	6	
	[illegible]	[illegible]	रुपये 100	पैसे —	001 – भू-राजस्व 002 – वसूल हुआ भू-राजस्व 003 – [illegible] 004 – वसूल हुआ पंचायतकर 005 – विक्रयकर 008 – अन्य विविध आगम		स्वीकृत ठीक है—जमा कर लीजिये रु. ...... भुगतान प्राप्त करने के पश्चात प्रमाण करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पूर्ण पद नाम
		कुल	100				

रुपये एक सौ .... प्रेषक बैंक की विभाग के अधिकारी अथवा
(शब्दों में) कोषालयाधिकारी द्वारा प्रेषक मामले में उपयोग किये जाने हेतु
रुपये एक सौ केवल .... (एकाउंट) को भुगतान प्राप्त किया

Rs100/- एक सौ मात्र

2791850/9

9 OCT 2007

खजांची — प्रबंधक — कोषालयाधिकारी एजेन्ट

चालान क्रं.

FORM M. P. T. C. 7 (See Subsidiary Rule 59)

खजाना/उप-खजाना/स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में पैसे जमा करने का चालान

At ....State Bank of India Gwalior....

पैसा जमा करने वाले को लिखना चाहिये					विभागीय या खजाना आपको लिखना चाहिय		
...ने खाया	उसका नाम या ओहदा और पता जिसकी ओर से पैसा जमा किया जा रहा है	किसलिये रकम पेश जमा किया जा रहा उसका पूरा विवरण	रकम		लेखा शीर्ष	लेखा अधिकारी जिसने समायोजन किया	बैंकको आदेश
1	2	3	4		5	6	7
			रुपये	पैसे			
...स्ताक्षर			100	—	001 – भू-राजस्व 002 – दबा हुआ भू-राजस्व 003 – साधारण पंचायतकर 004 – दबा हुआ पंचायतकर 005 – विकासकर 008 – अन्य विविध आगम		दिनांक ठीक है–प्राप्त कर पावती दे... भुगतान प्राप्त करने के आदेश प्रदान करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पूर्ण पद नाम
		कुल	100	—			

रुपये ....100 – एक सौ.... केवल बैंक की विभाग के अधिकारी अथवा

(शब्दों में) कोषालयाधिकारी द्वारा प्रेषक मामले में उपयोग किये जाने हेतु

रुपये .... (शब्दों में) को भुगतान प्राप्त किया

Rs100/- ...

27918509

खजांची गणक दिनांक कोषालयाधिकारी

एजेन्ट

स्टेट बैंक ... शाखा ग्वालियर

9 OCT 2007

जमा

स्व. धर्मा शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति

427, तानसेन नगर, ग्वालियर (म.प्र.) फोन : 0751- 2425898, 5051536
मोबाइल : 98262-66426, 98270-66426, E-mail : sarwadharma_1@redifimailcom.

क्रमांक

दिनांक 18/Oct/07

प्रति,

श्रीमान् तहसीलदार महोदय,
मुरार, जिला ग्वालियर
मध्यप्रदेश

विषयः सीमांकन हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि, स्व. धर्मा शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति ग्वालियर के आधिपत्य की भूमि ग्राम खेरियामोदी पटवारी हलका नं. 49 रा. नि. म. मुरार-5 मुरार तह. व जिला ग्वालियर में है। भूमि का सर्वे क्र. 99/2 एवं 99/3 है।

भूमि का मूल खसरा, अक्स एवं चालान रु. 100/- प्रस्तुत कर निवेदन है कि, यथाशीघ्र भूमि का सीमांकन कराने का कष्ट करें।

धन्यवाद!

Rakesh 18/10/07

18-Oct-07

सचिव
स्व. धर्मा शिक्षा एवं समाज कल्याण
संस्थान समिति ग्वालियर (म.प्र.)

कार्यालय अपर तहसीलदार, वृत्त 5 मुरार ग्वा0

प्रकरण क्रमांक:0 /08-09/अ-12 ग्वालियर, दिनांक 9.3.09

प्रति,

राजस्व निरीक्षक,
मुरार वृत्त 5

विषय:- सीमांकन किये जाने बावत् ।

उपरोक्त विषय मे निवेदन लेख है कि आवेदक स्व0धमा शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति द्वारा अध्यक्ष/सचिव अजय प्रतापसिंह चौहान द्वारा ग्राम बेरिया मोदी के सर्वे क्रमांक 99/2,99/3 का सीमांकन कराने बावत आवेदन पत्र इस न्यायालय मे पेश किया।

अतः उक्त सर्वे क्रमांक का सीमांकन कर सीमांकन प्रतिवेदन इस न्यायालय मे मय पंचनामा एवं फिल्ड बुक सहित पेश करे ।

अपर तहसीलदार,
अपर मुद्रांकदार
एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
ग्वालियर

प्रति आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त-5 मुरार
क्र० 22/08-09/अ-12

स्व० वर्मा शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति सचिव अजय प्रताप सिंह चौहान ग्राम खेरिया मोदी

बनाम

म० प्र० शासन

सत्य प्रतिलिपि
तहसील न्यायालय

आदेश

1/09	प्रकरण पेश। प्रकरण में आर.आई. की ओर से सीमांकन प्रतिवेदन मय पंचनामा, फील्ड बुक सहित प्रस्तुत। पढ़ा. सुना. गया। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है, प्रकरण समाप्त होकर द.दा. हो। नायब तहसीलदार वृत्त क्र. [illegible] मुरार

दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

प्रतिवेदन न्यायालय अप. तहसीलदार वृत्त (8) 5 मुरार
22/08-09 / अ-12

प्रतिवेदन

मुरार

कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत्त -- [redacted] तहसील ग्वालियर
जिला ग्वालियर

/सीमा. प्रति ... रा.नि. वृत्त 05/09 ग्वालियर दिनांक 26.3.09

श्रीमान नायब / अपर तहसीलदार महोदय,

तहसील वृत्त - मुरार

मुख्य लिपिक
तहसील ग्वालियर

रवेरिया मोदी ... पहन 49/95

99/2, 99/3

प्रकरण क्रमांक 108-09/अ-12

सदर्भित आदेश के पालन में मेरे द्वारा आवेदक एवं संबंधित ... सर्वे क्रमांक से संबंधित ... समक्ष दिनांक 21.3.09 को निम्नांकित सर्वे

99/2, 99/3 का विधिवत सीमांकन करके सीमा चिन्ह ...

... आवेदक अजय प्रताप चौहान सचिव सर्व धर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण ...

... नि. ग्राम रवेरिया मोदी ... तथा समक्ष उपस्थित व्यक्तियों का

... पंचनामा मौके पर तैयार किया गया।

सीमांकन कार्य मुताबिक निशानात कुआ, सिमेंट, एवं आसपास ...
से किया गया।

... संदर्भित सीमांकन प्रकरण सीमांकन कार्य ... के कारण ...
... सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

संलग्न:
1. फील्डबुक
2. सूचना पत्र

अशोक सक्सैना
राजस्व निरीक्षक वृत्त-5, मुरार
तह. व जिला ग्वालियर

प्रतिवेदन न्यायालय अपर तहसीलदार वृत्त (8) 5 मुरार
22/08-09 / अ-12

प्रतिवेदन

कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत्त -- मुरार [redacted] तहसील ग्वालियर
जिला ग्वालियर

/सीमा. प्रति राजस्व वृत्त 05/09 ग्वालियर दिनांक 26.3.09

श्रीमान नायब / अपर तहसीलदार महोदय,

तहसील 5 अपर - मुरार

नाम रवेरिया मोदी पहन 49/95

नम्बर 99/2, 99/3

प्रकरण क्रमांक 108.09/अ-12

संदर्भित आदेश के पालन में मेरे द्वारा आवेदक एवं आसपास के सभी सम्बन्धित से संपर्क ... समक्ष दिनांक 21.3.09 को निम्नांकित सर्वे
99/2, 99/3 का विधिवत सीमांकन करके सीमा चिन्ह ...
... आवेदक अजय प्रताप चौहान सचिव सर्व धर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण ...
... नि. ग्राम रवेरिया मोदी ... तथा समस्त उपस्थित व्यक्तियों का
... गया, इसका ... पंचनामा मौके पर तैयार किया गया।

सीमांकन कार्य मुताबिक निशानात कुआ, सीमेंट, एवं आसपास के ... से किया गया।

... संदर्भित सीमांकन प्रकरण सीमांकन कार्य सम्पादित हो जाने के कारण निराकरण हेतु सादर प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

संलग्न :-
1. फील्डबुक
2. सूचना पत्र

अशोक सक्सैना
राजस्व निरीक्षक वृत्त-5, मुरार
तह. व जिला ग्वालियर

मुख्य लिपिक
तहसील ग्वालियर

पंचनामा/ न्यायालय [illegible] तहसीलदार वृत्त - [illegible]

2/08-09/A-12 पंचनामा

प्रकरण क्रमांक /अ-12

पंचनामा लिखा दिया हम समस्त पंचान निवासी ग्राम रेहरिया मोदी तहसील ग्वालियर जिला ग्वालियर में कि को रा० नि० एवं पटवारी हल्का नं. 98/94 ने आवेदक राजकीय शिक्षा प्रशिक्षण एवं समाज कल्याण संस्थान समिति द्वारा अध्यक्ष सचिव अजय प्रताप सिंह चौहान निवासी ग्राम रेहरिया मोदी के सर्वे क्रमांक 99/2, 99/3 की भूमि स्थित ग्राम रेहरियामोदी का सीमांकन हम समस्त उपस्थित हितबद्ध कृषकों के समक्ष किया गया सीमांकन के वक्त मौके पर मुड्डियाँ गड़वाई गई खेतों की सीमायें आवेदक को समझाई गई। उसने सीमांकन में सहमति व्यक्त की। कोई आपत्ति नहीं आई। [illegible] मोतीराम पाल को फोन पर सूचित किया गया [illegible] उपस्थित नहीं आये मौके पर अनुप०। मो:-9827370832 समय 1:45 दिनांक।

पंचनामा लिख दिया जो सही है वक्त जरूरत पर काम आवे पढ़ा सुना व सही पाया।

आज दिनांक

बृज कुमार 21.5.09

लक्ष्मी सोलंकी

A.P.S. Chauhan 21.3.09

पंचान

पंचनामा

फोल्ड बुक न्यायालय ... [illegible] — S बुराट

/08-09/A-12

सीमांकन फाल्ड बुक दि० 21.3.09 (10)

ग्राम - बिरियामोदी, सर्वे क्र. 99/2, 99/2

पैमाना - 9" = 300'

N

W E

मुख्य लिपिक
तहसील न्यायालय

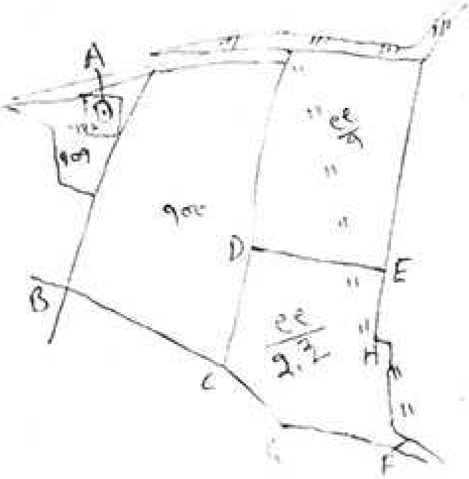

मुस्तकिल निशानात
बिन्दु A व B

कहां से कहां तक

BC —	3.70
AC —	5.90
CD —	2.70
DE —	2.80
AE —	6.80
CG —	1.80
GF —	2.40
EF —	3.80
EH —	1.40

राजस्व निरीक्षक

(R.S. Rajput)

23/4/09
26/4/09

27/4/09

मुख्य लिपिक
तहसील न्यायालय

नया बीस सूत्रीय कार्यक्रम

1. सिंचाई क्षमता में और वृद्धि की जाये. सूखी जमीन पर खेती से सम्बन्धित तकनीकी ज्ञान और खाद्यान्नों का विकास किया जाये.
2. दलहन और तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के लिये विशेष प्रयास किये जायें.
3. समग्र ग्रामीण विकास एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को सुदृढ़ एवं अधिक विस्तृत किया जाये.
4. कृषि योग्य भूमि की हदबंदी लागू हो, तमाम प्रशासनिक अड़चनों को दूर कर जमीन से संबंधित रिकार्डो को एकत्र कर पूरे तौर से दुरुस्त किया जाये तथा हदबंदी की सीमा से अधिक जमीन का बंटवारा भूमिहीनों के बीच किया जाये.
5. कृषि कार्य में लगे मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने से संबंधित कानूनों की समीक्षा की जाये और इसे असरदार तरीके से लागू किया जाये.
6. बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाये.
7. अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास से संबंधित कार्यों में तेजी लाई जाये.
8. दूरदराज इलाकों में बसे सभी ग्रामों में पीने के पानी का प्रबन्ध हो.
9. ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवार जिनके पास अपने मकान बनाने के लिये जमीन नहीं है, उनको इसके लिये जमीन दी जाये और उनके लिये मकान बनाने में सहायता से संबंधित जो कार्यक्रम हैं, उनका विस्तार किया जाये.

शेष तीसरे एवं चौथे कवर पर

पुस्तिका क्रमांक ....

102042

कृषक का नाम स्व. धर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति ग्वा. द्वारा सचिव डॉ अजय प्रताप सिंह पुत्र स्व. वीरेन्द्र सिंह चौहान नि. 320 तानसेन नगर ग्वालियर

ग्राम खेरिया मोदी .... पटवारी हल्का नं. ४९/९५

राजस्व निरीक्षक मण्डल ०५ .... विकास खण्ड मुरार

तहसील ग्वालियर .... जिला ग्वालियर

कृषक के हस्ताक्षर या अंगूठे की निशानी का नमूना

....

प्रस्तावना

इस पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य किसानों के खातों, हकों, लगान, तकावी आदि का पूरा-पूरा हिसाब रखना है. इसमें किसानों को सहकारी और व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिये गये कर्ज और उनकी वसूली का भी पूरा-पूरा लेखा-जोखा रखा जाता है. मतलब यह है कि किसानों के हिसाब-किताब पूरे रहे और उन्हें सरकार या बैंकों से कर्ज लेने में कोई दिक्कत न हो.

अतः यह जरूरी है कि इस पुस्तिका के लेख नवीनतम रहें. किसानों को भी चाहिए कि वे हमेशा इस पुस्तिका में नवीनतम अभिलेख कराते रहें. इसे सम्भाल कर रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके खो जाने पर फिर से तमाम दफ्तरों और बैंकों से रिकार्ड पूरा करवाने में बड़ी कठिनाई होगी.

किसानों के साथ-साथ बैंकों, दफ्तरों, सहकारी संस्थाओं का भी यह फर्ज है कि वे इस किताब के रिकार्ड को पूरा करने में जरा भी देरी न करें और सारी प्रविष्टियां तुरन्त की जावें. इस संबंध में अगर कोई भी दिक्कत हो, तो काश्तकारों को चाहिये कि वे तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी और जरूरत पड़ने पर कलेक्टर से शिकायत करें. इन किताबों के रिकार्डों को पूरा करने में जो भी कर्मचारी सुस्ती, लापरवाही या बदनियती बरतेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी.

राजस्व मंत्री

पुस्तिका क्रमांक 102042

कृषक का नाम धर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति ग्वा. द्वारा सचिव डॉ अजय प्रताप सिंह पुत्र स्व. वीरेन्द्र सिंह चौहान

ग्राम खेरिया मोदी .... पटवारी हल्का नं. ४९/९५

राजस्व निरीक्षक मण्डल ०५ .... विकास खण्ड मुरार

तहसील ग्वालियर .... जिला ग्वालियर

कृषक के हस्ताक्षर या अंगूठे की निशानी का नमूना

....

1-भू-

कृषक एवं शामिल शरीक खातेदारों के नाम स्व. धर्म शिक्षा एवं समाज
2. कल्याण संस्थान समिति
3. ग्वालियर द्वारा सचिव

अभिलेख

4. डॉ. अजयप्रतापसिंह खाता नम्बर 4/ २००५-०६ / २०६२
5. चौहान पुत्र स्व. ....भूमि पर हक का प्रकार (भू-स्वामी/ ~~मौरूसी/शासकीय पट्टेदार~~)
वीरेन्द्रसिंह नि. 32... तानसेन नगर ग्वालियर

क्रमांक	खसरा नम्बर	रकबा	लगान	अबवाब	रकबा: काश्त में	रकबा: पड़त	सिंचित रकबा	सिंचाई का स्रोत (कुआं, नहर, तालाब, नदी)	यदि खसरा नं. पट्टे पर है, तो मौरूसी/पट्टेदार का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
१	९९/२७ ९९/३	0.४६४	८-२२	—	0.२९२	0.०५२	—	—	—	—
									पंजी क्र. 05 आदेश दि. 10.2.06 से बनी [signature]	

[signature]

किरण ... सी. ए. ... तहसील, ग्वालियर [stamp, signature]

एस. एन. सिंह कुशवाह
राजस्व निरीक्षक
वृत्त क्र. 5 मुरार, तह. ग्वा. [stamp, signature]

XX (a)-A-145
Rev.-- Hindi

डायवर्सन ग्राम खेरिया मोदी

पुस्तक क्र. **फॉर्म--तीन** रसीद क्र. 2

[परिपत्र दो-४ की कंडिका ३ देखिये]

2765 रसीद का फॉर्म (दो प्रतियों में)
सर्वे क्र. 99/2, 99/3

राजस्व मामला या अन्य कार्यवाही क्रमांक .... में

श्री स्व. धर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण से
श्री सम्मान समिति अजय प्रताप सिंह द्वारा
रुपये 16302=00 सोलह हजार तीन सौ दो (अंकों और
शब्दों में) प्राप्त हुए
अन्य विवरण वर्ष 07-08, 08-09
कुल भूमि. 5434=00 प्रतिवर्ष
उपकर 2717=00

भुगतान करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान. रकम प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर.

अपर तहसीलदार एवं कार्य पालिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर

तारीख 16/12/08

ग्राम खेरिया मोदी
डायवर्सन

XX (a)-A-145
Rev.-- Hindi

सर्वे क्र. 99/2, 99/3

पुस्तक क्र. **फॉर्म--तीन** रसीद क्र.

[परिपत्र दो-४ की कंडिका ३ देखिये]

रसीद का फॉर्म (दो प्रतियों में) 34

10117

राजस्व मामला या अन्य कार्यवाही क्रमांक .... में

श्री स्व. धर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण से
श्री सम्मान समिति अजय प्रताप सिंह द्वारा
रुपये 8151=00 आठ हजार एक सौ इक्यावन रु. (अंकों और
शब्दों में) प्राप्त हुए
अन्य विवरण वर्ष 09-10 डायवर्सन

भुगतान करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान. रकम प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर.

अपर तहसीलदार एवं कार्य पालिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर

तारीख 6/3/10

HERIYA

TS)

ग्राम खैरियामोदी के सर्वे क्रमांक 99/2, 99/3 रकबा
0.564 हे० में से शामिल 1129.49 वर्गमीटर
क्षेत्रफल में शैक्षणिक भवन निर्माण की स्वीकृति
ग्राम पंचायत के प्रस्ताव क्रमांक 04 दिनांक
22.3.2006 द्वारा स्व० धर्मी शिक्षा एवं समाज
कल्याण संस्थान ग्वालियर को प्रदान की जाती है
अनुमोदन किया। दुबारा आवेदन करने पर पुन:
500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में शैक्षणिक भवन निर्माण
की अनुमति दी जाती है। अनुमोदन किया गया।

शांतिदेवी
सरपंच
ग्राम पंचायत गणेशपुरा
जनपद पंचायत मुरार, ग्वा०

H. BUILDERS & CONSULTANTS
GWALIOR

XX (a)-A-145
Rev.-- Hindi

डायवर्सन ग्राम खेरिया मोदी

पुस्तक क्र. **फॉर्म--तीन** रसीद क्र. 2

[परिपत्र दो-४ की कंडिका ३ देखिये]

2765 रसीद का फॉर्म (दो प्रतियों में)

सर्वे क्र. 99/2, 99/3

राजस्व मामला या अन्य कार्यवाही क्रमांक .... में

श्री स्व. धर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण से

श्री संस्थान समिति अजय प्रताप सिंह द्वारा

रुपये 16302=00 सोलह हजार तीन सौ दो रुपये (अंकों और शब्दों में) प्राप्त हुए.

अन्य विवरण वर्ष 07-08, 08-09

प्र.मि. 5434=00 प्रतिवर्ष

उपकर 2717=00

भुगतान करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान. रकम प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर.

अपर तहसीलदार
एवं कार्य पालिक मजिस्ट्रेट
ग्वालियर

तारीख 16/12/08

ग्राम खेरिया मोदी
डायवर्सन

XX (a)-A-145
Rev.-- Hindi

सर्वे क्र. 99/2, 99/3

पुस्तक क्र. **फॉर्म--तीन** रसीद क्र.

[परिपत्र दो-४ की कंडिका ३ देखिये]

रसीद का फॉर्म (दो प्रतियों में) 34

10117

राजस्व मामला या अन्य कार्यवाही क्रमांक .... में

श्री स्व. धर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण से

श्री संस्थान समिति अजय प्रताप सिंह द्वारा

रुपये 8151=00 आठ हजार एक सौ इक्यावन रु. (अंकों और शब्दों में) प्राप्त हुए.

अन्य विवरण वर्ष 09-10 डायवर्सन

भुगतान करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान. रकम प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर.

अपर तहसीलदार
एवं कार्य पालिक मजिस्ट्रेट
ग्वालियर

तारीख 6/3/10

पंजी. क्र. ग्वा. सं. 3215

स्व. धर्मा शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति

427, तानसेन नगर, ग्वालियर (म.प्र.) फोन : 0751- 2425898, 5051536
मोबाइल : 98262-66426, 98270-66426, E-mail : sarwadharma_1@rediftmailcom.

क्रमांक   दिनांक 11 मार्च 2006.

प्रति
श्रीमान सरपंच महोदय
गणेशपुरा पंचायत
जनपद मुरार, जिला ग्वालियर, म०प्र०

विषय :- भवन नक्शा अनुमोदित करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि :-

- स्व० धर्मा शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति ग्वालियर द्वारा आपके पंचायत गणेशपुरा के अन्तर्गत ग्राम सेंथियाखोदी में सर्वे क्रमांक 77/2 एवं 77/3 कुल रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा क्रय की गयी है।
- समिति द्वारा उक्त भूमि का नामान्तरण कराया जाकर निर्धारित शुल्क जमा कराया जा चुका है।
- समिति अपने स्वामित्व की भूमि पर भवन निर्माण कराना चाहती है।

अतः आपसे निवेदन है कि समिति स्वामित्व पर शैक्षणिक संस्था महाविद्यालय हेतु निर्माण भवन नक्शा अनुमोदित करने का कष्ट करें ताकि भवन निर्माण कार्य कराया जा सके।

सादर।

संलग्न :- भूमि रजिस्ट्री
- नामान्तरण आदेश की प्रति
- भवन नक्शा

सचिव
O/c
सचिव
स्व. धर्मा शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति ग्वालियर (म.प्र.)

18/03/06
सचिव

कार्यालय ग्राम पंचायत गणेशपुरा मुरार ग्वा०

प्रस्ताव क्र. 04 दि. 22-3-06

ग्राम - [illegible] के सर्वे क्र. 99/2, 99/3 रकबा 0.564 हे. यानी 2 बीघा 14 बिस्वा पर स्व धर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति ग्वा० को 1129.49 वर्गमीटर भूमि में भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति।

आज दिनांक 22-3-2006 को ग्राम पंचायत गणेशपुरा की बैठक में स्व. धर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति द्वारा दिया गया आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा समस्त उपस्थित सदस्यों को बताया गया कि समिति द्वारा भूमि रजिस्ट्री द्वारा क्रय की है। नामांतरण कराया गया है। जिसकी प्रति संलग्न की है भूमि समिति के स्वामित्व की है। ग्राम पंचायत की रसीद क्र.-79 द्वारा शुल्क जमा की गयी है। नक्शा निर्माण का नक्शा प्रति [illegible] के साथ प्रस्तुत की है। सदस्यों द्वारा प्रस्तुत आवेदन, कागजात सही पाये गये। एवं निर्माण समिति (अहित) पंचायत की अनुशंसा के आधार पर सर्वसम्मति से संकल्प पारित करती है कि स्व. धर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति ग्वा० को 1129.49 वर्गमीटर भूमि रकबा में भवन निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया।

सत्य प्रतिलिपि

सचिव
ग्रा.पं. गणेशपुरा

शान्ति देवी
सरपंच
ग्राम पंचायत गणेशपुरा
जनपद पंचायत मुरार, ग्वा०

रसीद

क्रमांक 20 दिनांक 14/3/06

ग्राम पंचायत गणेशपुरा जनपद पंचायत मुरार

श्री/श्रीमती/कु. स्व. धर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान पिता/पति

निवासी ग्वालियर से रुपये 200/-

शब्दों में रुपये दो सौ रुपये मात्र

माध्यम नगद/चैक/मा.ड्रा. क्रमांक ______ तारीख ______

अदाकर्ता ______ बैंक ______

के माध्यम से प्राप्त किये। भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क

शान्ति देवी

कार्यालय ग्राम पंचायत - गणेशपुरा जनपद मुरार ग्वा०

सत्यप्रतिलिपि प्रस्ताव ठहराव

प्रस्ताव क्र० - 7 / 12-10-09

ग्राम खेरियामोदी के सर्वे क्र० 99/2, 99/3 रकबा 0.564 हैक्टेयर यानी 2 बीघा 14 बिस्वा पर सर्व धर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति ग्वा० को 1729.47 वर्ग मीटर भूमि में भवन निर्माण कार्य की पूर्व स्वीकृति दिनांक 22.3.06 में संशोधन विषयक प्रस्ताव का अनुमोदन बाबत् ।

ठहराव

आज दिनांक 12.10.09 को ग्राम पंचायत गणेशपुरा की बैठक में सर्व धर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति ग्वा० द्वारा दिया गया आवेदन प्रस्तुत किया गया । बैठक उपस्थित सदस्यों को बताया गया कि समिति द्वारा सर्वे क्र० 99/2 99/3 कुल रकबा 0.564 है० यानी 2 बीघा 14 बिस्वा में 33750 वर्गफुट डायवर्ट कराकर 1729.47 वर्ग मीटर भूमि पर समिति के नाम से भवन बनाया गया है, जिसकी स्वीकृति दिनांक 27.3.06 की बैठक में दी गयी थी कुल निर्मित भवन क्षेत्रफल 15725 वर्ग फुट है का नाम परिवर्तन सर्वधर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति ग्वा० द्वारा संचालित सर्व धर्म महाविद्यालय (S.D.S महाविद्यालय) ग्वालियर चाहा गया है; भवन नक्शा की प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत की गयी है अतः निर्माण पंचायत समिति की अनुशंसा के आधार पर सर्वसम्मति से ग्रा०पं० संकल्प पारित करती है कि सर्वधर्म शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान समिति ग्वा० के उक्त भवन का नाम परिवर्तन समिति द्वारा संचालित सर्व धर्म महाविद्यालय (एस० डी० एस० महाविद्यालय) ग्वालियर के नाम करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया ।

शान्ति देवी

सरपंच
ग्राम पंचायत गणेशपुरा
जनपद पंचायत मुरार, ग्वा०

सचिव
ग्राम पंचायत गणेशपुरा
विकास खण्ड मुरार